



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 24 फरवरी, 2021

फाल्गुन 5, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 370 / 77-3-2021-159(एम)-2019
लखनऊ, 24 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प0आ0-58

चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 2483 / 77-3-2020-159(एम)-2019 दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 जिला चित्रकूट तहसील कर्वी परगना कर्वी स्थित ग्राम करारी में 0.4560 हेक्टेयर, गोंडा में 0.0030 हेक्टेयर व धौरहीमाफी में 0.0697 हेक्टेयर कुल 0.5287 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी। चित्रकूट के कलेक्टर को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देती हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (जिला चित्रकूट में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है)।

अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची "क"

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6
चित्रकूट	कर्वी	कर्वी	करारी	364	0.0250
			करारी	365	0.1460
			करारी	366क	0.1840
			करारी	127	0.0900
			करारी	126	0.0110
योग				05 किता	0.4560 हेक्टेयर
चित्रकूट	कर्वी	कर्वी	गोंडा	453	0.0010
		कर्वी	गोंडा	453/1734	0.0020
योग				02 किता	0.0030 हेक्टेयर
चित्रकूट	कर्वी	कर्वी	धौरहीमाफी	101	0.0697
योग				01 किता	0.0697 हेक्टेयर
				08 किता	0.5287 हेक्टेयर

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
चित्रकूट	कर्वी	कर्वी	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी- अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 370/LXXVII-3-21-159(M)-2019, dated February 24, 2021:

No. 370/LXXVII-3-21-159(M)-2019

Dated Lucknow, February 24, 2021

WHEREAS preliminary notification no. 2483/LXXVII-3-20-159(M)-2019 dated December 03, 2020 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of total 0.5287 Hectare of land in the Village Karari area 0.4560 Hec., Gonda area 0.0030 Hec., Dhaurahimafi area 0.0697 Hec. in Pargana Karwi, Tehsil Karwi, District Chitrakoot. The Collector of Chitrakoot was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

NOW, THEREFORE, after considering the report of the Collector submitted in pursuance of sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the said Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in Schedule "A" below is needed for public purpose and no land in the Village, Pargana and District as given in

Schedule "B" has been identified for rehabilitation and resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the said Act to direct the Collector to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith. (No family is likely to be displaced due to land acquisition for Bundelkhand Expressway Project in district Chitrakoot. Hence, there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement and publication of summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme).

SCHEDULE "A"

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired (in hect.)
1	2	3	4	5	6
Chitrakoot	Karwi	Karwi	Karari	364	0.0250
Chitrakoot				365	0.1460
Chitrakoot				366K	0.1840
Chitrakoot				127	0.0900
Chitrakoot				126	0.0110
Total				5 kita	0.4560 Hec.
Chitrakoot	Karwi	Karwi	Gonda	453	0.0010
				453/1734	0.0020
Total				2 kita	0.0030 Hec.
Chitrakoot	Karwi	Karwi	Dhaurahimafi	101	0.0697
Total				1 kita	0.0697 Hec.
Grand Total				8 kita	0.5287 Hec.

SCHEDULE "B"

Land Identified as Settlement Area for Displaced Families

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked for Rehabilitation (in hect.)
1	2	3	4	5	6
Chitrakoot	Karwi	Karwi	ZERO	ZERO	ZERO

Note :- A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order,
ARVIND KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 759 राजपत्र-2021-(1577)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 24 सा० औद्योगिक विकास-2021-(1578)-250 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।